2021/345

FORM NO. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द ,जिला भीलवाड़ा

रामप्रसाद बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा 136 LRA प्र. संख्या PGKS 2021 / 2402 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी श्री रामप्रसाद शर्मा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कांवलास की अन्तिम जमाबन्दी चौसाला आधार संवत 2076-79 जमाबन्दी की खाता संख्या 24 में प्रार्थी का नाम रामप्रसाद पि.सुखदेव हिस्सा ½ जाति ब्राह्मण सा.देह दर्ज रेकार्ड है। श्री सुखदेव मेरे गोद पिता है जबकि मेरे प्राकृतिक पिता का नाम श्री कन्हैयालाल है। मेरे अन्य सरकारी दस्तावेज यथा राशन कार्ड / आधार कार्ड / पेन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / फोटो पहचान पत्र एंव राजकीय सेवा के दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता के नाम के रूप में प्राकृतिक पिता श्री कन्हैयालाल का नाम अंकित है। प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड में भी गोद पिता के स्थान पर प्राकृतिक पिता का नाम अंकित करने बाबत् निवेदन किया है।	
	प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच रिपोर्ट तहसीलदार ली जाकर शामिल पत्रावली की गयी। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये –	

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज क्रमांक
1	फोटो पहचान पत्र	RJ/20/158/309332
2	आयकर विभाग	BYKPS5707B
3	आधार कार्ड	935234968313
4	ड्राइविंग लाइसेंस	RJ5120040002786
5	राशन कार्ड	00583/228
6	गोदनामा की छाया प्रति	रजिस्टर्ड दिनांक 19.10.81

प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों / रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द का गहन अध्ययन / मन[illegible] जिसके स्पष्ट हुआ कि प्रार्थी के प्राकृतिक पिता का नाम क[illegible]लाल है तथा प्रार्थी के नाम जारी समस्त सरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम कन्हैयालाल दर्ज है। प्रार्थी श्री सु[illegible]देव के गोद चले जाने से राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के गोद पिता का नाम अंकन है जिसे संशोधित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में प्राकृतिक पिता का नाम अंकित किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः राजस्व ग्राम कांवलास की अन्तिम जमाबन्दी चौसाला आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:37:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) आसीन्द

(2019/01994)   मिसल एव न्यायालय दि P.D

न्यायालय ...

संवत 2076-79 जमाबन्दी की खाता संख्या 24 में प्रार्थी का नाम रामप्रसाद पि.सुखदेव हिस्सा ½ जाति ब्राह्मण सा.देह के स्थान पर रामप्रसाद पि.कन्हैयालाल हिस्सा ½ ब्राह्मण सा.देह दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हेतु आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें। निर्णय आज दिनांक 30.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर {S.D.O.}आसीन्द

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:37:07 IST
Reason: SelfAttested